तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1951/2005/बारां प्रहलाद बनाम बिरधी लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-19	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवां, सदस्य** **उपस्थित** श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** यह **अपील** अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 23-12-04 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी प्रहलाद ने अधिनियम की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र उप जिला कलेक्टर बांरा के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बेंगनी तहसील बांरा में सेटिलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 575 का कुल रकबा 54बीघा 3 विस्वा अपीलार्थी के पितामह नारायण के खाते में दर्ज थी। उक्त आराजी में से अपीलार्थी के पिता स्व. लाला ने 30 बीघा आराजी प्रभु पुत्र गोपी लाल मीणा निवासी बालेडा को बेचान कर दी। बाद में इस 30 बीघा आराजी को प्रत्यर्थी संख्या 1लगायत 3 द्वारा प्रभु लाल से क्रय कर लिया गया है तथा 24बीघा 3विस्वा आराजी जो कि अपीलार्थी के खाते की शेष भूमि है इस पर अपीलार्थी काबिज चला आ रहा है। जिसके नये खसरा नम्बर 890 व 689 कायम कर अपीलार्थी के एवं खसरा नम्बर 692 व 693 गलत तौर पर प्रत्यर्थी के नाम दर्ज कर दी गई है। अपीलार्थी की पूर्व में मेड बनी हुई है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा है व इस आराजी में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1951/2005/बारां प्रहलाद बनाम बिरधी लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परवन लिफट का माईनर नम्बर 6 निकला है जिसका गलत तौर पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नोटिस प्रत्यर्थी के नाम जारी कर दिया है जबकि यह माईनर अपीलार्थी के खेत में से निकला है व सेटिलमेन्ट विभाग ने गलत तौर पर अपीलार्थी के खाते में कुल 3-41हेक्टर भूमि दर्ज की है जो करीब साढे चार बीघा कम है। अतःभूमि अवाप्ति अधिकारी से मुआवजा प्राप्त करने का अपीलार्थी अधिकारी है। अतः अपीलार्थी के खातेदारी का करीब 4 बीघा रकबा दुरूस्ती करय जो माईनर नम्बर 6 परवन लिफट में जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा अपीलार्थी कों दिलाया जावे व सेटिलमेन्ट के दौरान कम की गई आराजी को अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। उप जिला कलेक्टर बारां ने अपने निर्णय दिनांक 29-6-02 से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23-12-04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये बताया कि अपीलार्थी के पितामह नारायण की खातेदारी में पूर्व खसरा नम्बर 575 रकबा 54 बीघा 3 विस्वा भूमि दर्ज थी उसमें से प्रार्थी के पिता स्व. लाला ने 30 बीघा भूमि प्रभु लाल के पक्ष में विक्रय की थी। इसके पश्चात अपीलार्थी के पास 24बीघा 3 विस्वा भूमि शेष रहती है किन्तु सेटिलमेन्ट अधिकारियों ने गैर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1951/2005/बारां प्रहलाद बनाम बिरधी लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कानूनी तौर पर नये नम्बर कायम कर खसरा नम्बर 690 की 3–35 हेक्टर व खसरा नम्बर 689 की 0–6हेंक्टरय कुल 3–41 हेक्टर भूमि ही प्रार्थी के खाते में दर्ज की है। इस प्रकार 4बीघा रकबा अपीलार्थी के खाते से कम कर प्रत्यर्थी के खाते में गलत दर्ज की गई है। परवन लिफट माईनर नम्बर 6 में जो भूमि अवाप्त हुई है व अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधिनियम की धारा 136 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी के कमी रकबे की पूर्ति की जाकर जो भूमि परवन लिफट माईनर नं 6 में अवाप्त की गई है उसका मुआवजा अपीलार्थी को दिलाया जावे। जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 692 जो कि वर्तमान में प्रत्यर्थी की खातेदारी का है,को दुरूस्त करवाकर अपने खाते में दर्ज कराने की प्रार्थना करते हुये इस भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी के पिता लाला ने यह आराजी प्रभु लाल को बेचान की थी तथा प्रभु लाल से प्रत्यर्थी ने क्रय की है। यह तथ्य रेकार्ड पर उपलब्ध है। जो भूमि प्रभु लाल को बेची गई थी उस आराजी का वह मौके पर काबिज काश्त खातेदार था। उसकी के कब्जे की स्थिति अनुसार प्रत्यर्थीगण द्वारा आराजी को क्रय किया गया है। उस समय अपीलार्थी ने इस बाबत कोई आपति नहीं की। चूँकि अब विवादित आराजी प्रत्यर्थीगण ने क्रय कर ली है और भू प्रबन्ध विभाग ने भी काबिज स्थिति अनुसार प्रत्यर्थीगण के खाते दर्ज की है। खसरा नम्बर 692 में वही भूमि प्रत्यर्थीगण के खाते में दर्ज है जो अपीलार्थी के पिता के विक्रय के समय से प्रभु लाल क्रेता के खाते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1951/2005/बारां प्रहलाद बनाम बिरधी लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज थी। उसके पश्चात प्रत्यर्थीगण के नाम आई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समस्त तथ्यों पर पूर्ण विवेचना करते हुये निर्णय पारित किये हैं। जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रहलाद ने अधिनियम की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र उप जिला कलेक्टर बांरा के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बेंगनी तहसील बांरा में सेटिलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 575 का कुल रकबा 54बीघा 3 विस्वा अपीलार्थी के पितामह नारायण के खाते में दर्ज थी। उक्त आराजी में से अपीलार्थी के पिता स्व. लाला ने 30 बीघा आराजी प्रभु पुत्र गोपी लाल मीणा निवासी बालेडा को बेचान कर दी। बाद में इस 30 बीघा आराजी को प्रत्यर्थी संख्या 1लगायत 3 द्वारा प्रभु लाल से क्रय कर लिया गया है तथा 24बीघा 3विस्वा आराजी जो कि अपीलार्थी के खाते की शेष भूमि है इस पर अपीलार्थी काबिज चला आ रहा है। जिसके नये खसरा नम्बर 890 व 689 कायम कर अपीलार्थी के एवं खसरा नम्बर 692 व 693 गलत तौर पर प्रत्यर्थी के नाम दर्ज कर दी गई है। अपीलार्थी की पूर्व में मेड बनी हुई है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा है व इस आराजी में परवन लिफट का माईनर नम्बर 6 निकला है जिसका गलत तौर पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नोटिस प्रत्यर्थी के नाम जारी कर दिया है जबकि यह माईनर अपीलार्थी के खेत में से निकला है व सेटिलमेन्ट विभाग ने गलत तौर पर अपीलार्थी के खाते में कुल 3-41हेक्टर भूमि दर्ज की है जो करीब साढे चार बीघा कम है। अतःभूमि अवाप्ति अधिकारी से मुआवजा प्राप्त करने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1951/2005/बारां प्रहलाद बनाम बिरधी लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी अधिकारी है। अतः अपीलार्थी के खातेदारी का करीब 4 बीघा रकबा दुरूस्ती करय जो माईनर नम्बर 6 परवन लिफट में जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा अपीलार्थी कों दिलाया जावे व सेटिलमेन्ट के दौरान कम की गई आराजी को अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित खसरा नम्बरान की भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की हो अथवा प्रत्यर्थीगण के खातेदारी का रकबा बडा हुआ हो और जो अपीलार्थी के हक का हो। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	